FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JODHPUR CITY EAST **P.S. (थाना):** MAHA MANDIR **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0220 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/06/2026 01:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/06/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:07 बजे **Time To (समय तक):** 05:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई)** **Date (दिनांक):** 01/06/2026 **Time (समय):** 23:04 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 046 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/06/2026 23:04:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1 (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** दक्षिण - पूर्व, 0.8 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** इमरतिया बेरा

(b) **Address(पता):** MAHAMANDIR AREA

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SEEMA GEHLOT AND SEEMA RATHI

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2001 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान सं.)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MAANSAGAR AND LAXMI NAGAR, MAHA MANDIR, JODHPUR CITY EAST, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MAANSAGAR AND LAXMI NAGAR, MAHA MANDIR, JODHPUR CITY EAST, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-8107699501

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,
श्रीमान् पुलिस कमिश्नर महोदय, (SHO)
पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर। (महामंदिर)
विषय - धोखाधड़ी से निवेश के नाम पर राशि हड़पने बाबत्।
महोदय जी,

उपरोक्त विषय में मुझ प्रार्थीया सीमा गहलोत पत्नी श्री सुमेर सिंह कच्छवाहा, निवासी मुन्नी महाराज मन्दिर के पास, मानसागर महामन्दिर जोधपुर की ओर से शिकायत प्रस्तुत कर निवेदन है कि -

01. यह है कि सोशल मीडिया परXPO.RUनामक वेबसाईट है जिसमे उच्च लाभ एवं बोनस का आश्वासन देकर राशि निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है उक्तXPO.RUवेबसाईट के कर्ता संचालक रजत शर्मा, विजय मोर्या, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, सुरेन्द्र बरबार व पूजा भाटी (मो. नं. 8949805166) पत्नि स्व. कमलेश गहलोत, निवासी- जालोरियों का बास जोधपुर एवं जितेन्द्र जांगिड़ निवासी मगरा पुंजला जोधपुर (मो. नं. 9875894141) कर्ताधिर्ता संचालक है एंव खुशबू गहलोत पत्नी श्री रविन्द्र गहलोत मों नं. 8963005192 पता- इनकम टेक्स ऑफिस के सामने वाली गली, पावटा सी रोड़ जोधपुर ने उक्त कंपनी के लिए कार्य करते है। और इनके द्वारा ही मेरे कोXPO.RUमें इन्वेस्टमेन्ट कराया गया तथा इन लोगों ने गरीब व मध्यमवर्गीय आय के लोगों से राशि हड़प करने की मंशा से फर्जी तरीके से व धोखाधडी से अधिक से अधिक प्रलोभन देते हुए उक्त प्रक्रिया के लिए अधिक व्यक्तियों को निवेश के नाम पर जोड़कर चैन बनाकर अधिक से अधिक राशि अर्जित करने के लिए आम जनता के साथ धोखाधड़ी कारित की है। प्रार्थीया गृहणी है तथा मुझ प्रार्थीया के पति प्राईवेट कम्पनी में कार्य करते है तथा प्रार्थीया ने भी उक्त पूजा भाटी, जितेन्द्र जांगिड़ व रविन्द्र गहलोत के द्वारा उपरोक्त कंपनी को सेबी द्वारा अधिकृत होने व कंपनी का रजिस्टर्ड होने का झांसा देकर बेईमानी व धोखाधडी से निवेश के नाम पर प्रार्थीया सीमा गहलोत से 1,30,000/- रूपये प्राप्त कर लिये। तथा यह भी कहां की आपके पति को नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है तथा उक्त राशि प्रार्थीया व उसके पति ने अपनी बचत व अपने रिश्तदारो से उधार लेकर दी थी। इस प्रकार उक्त लोगों ने यह जानते हुए यह कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है तथा निवेश के नाम पर राशि एकत्रित करने में सक्षम नहीं है इसके बावजूद प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों से राशि एकत्रित कर धोखाधड़ी कारित की है। प्रार्थीया से उक्त राशि प्राप्त कर प्रार्थी को भारी नुकसान कारित किया है।

02. यह है कि प्रार्थीया व उसके पति को उक्त कंपनी के फर्जी होने बाबत् जानकारी प्राप्त हुई तो प्रार्थीया व उसके पति के द्वारा पूजा भाटी, जितेन्द्र जांगिड़ रविन्द्र गहलोत से संपर्क किया गया तो उक्त अभियुक्तगणों ने प्रार्थीया के द्वारा निवेश की गई राशि को लौटाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया गया और कहा तुमसे जो हो सके वो कर लेना यह पैसे तो अब तुम्हे मिलने से रहे, तथा पूजा भाटी ने कहां की वह मुझ प्रार्थीया के पति सुमेर सिंह को झुठे केस में फंसा दुगीं।

03. यह है कि प्रार्थीया के द्वारा अभियुक्तगणों के झूठे झांसे एवं कम समय में अमीर बनने के लालच में अपनी बचत व रिश्तेदारो से उधार राशि प्राप्त कर अभियुक्तगणों के कहे अनुसार उनकी योजना में निवेश किये परन्तु अभियुक्तगणों द्वारा प्रार्थीया के साथ अमानत में खयानत करते हुए उसकी राशि हड़प कर ली है। अभियुक्तगणो द्वारा मेरे साथ-साथ मेरे जान पहचान व रिश्तेदार के भी रूपये हड़प लिये गये जिनका विवरण निम्न है - पुनम गहलोत 1,50,000/-, यश गहलोत से 10000/-, सुमेर सिंह कच्छवाहा 420000/-, मीनल गहलोत 3,50,000

/-, प्रियंका 20000/-, ललित गहलोत 30,000/-, घनश्याम कुदाल 2,50,000/-, अनु 2,00,000/-, ओमप्रकाश शर्मा 23,00,000/- महेश कच्छावाहा, 30,000/- कालूराम 1,50,000/-, हरिराम 50,000/-, भुपेन्द्र सिंह मेहरा 4,55,000/-, मोहित डाबी 1,20,000/- प्रेमप्रकाश 3,00,000/- सुशीला व्यास 1,00,000/-, भंवरलाल 9,00,000/- विनोद भाटी 11,00,000/-, चम्पा 4,60,000/- जिनको मेरे साथ होटल चन्द्रा इंपीरियल में मिटींग के बहाने बुलाया तथा 10-15 प्रतिशत मासिक लाभ का लालच देकर रूपये हडप लिये। इस तरह मेरे व मेरे जान-पहचान व रिश्तेदारो के साथ रूपयो की धोखाधड़ी हुई है।

04. यह है कि मेरे साथ हुई धोखाधड़ी के संबध में मेरे द्वारा पुलिस थाना महामन्दिर में रिपोर्ट दी गई लेकिन वहां पर न तो मेरी रिपोर्ट दर्ज की गई न ही किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही की गई।

अतः मान्यवर से निवेदन है कि अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करावे।एसडी सीमा गहलोत मो. नं. 8107699501

लगातार

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधिक्षक महोदय,
जोधपुर (राज.)।

विषयः- मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय,

1. यह कि सीमा राठी पति राज राठी जाति माहेश्वरी मैंने अभियुक्तगण रजत शर्मा पुत्र श्री श्रवण कुमार, निवासी 129, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर, ईश्वर वर्मा पुत्र श्री सांवरमल वर्मा, निवासी श्रीमालों का मोहल्ला, वार्ड नम्बर 35, झुन्झुनू, विजय मौर्य पुत्र श्री भानाराम मोर्य, निवासी रेगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 4, झुन्झुनू, सुरेन्द्र सैनी पुत्र श्री हजारी लाल, निवासी बसेरी गोदा गुरूजी, बसेरी जिला झुन्झुनू व संदीप सिगर पुत्र श्री भागीरथ मल, निवासी- बरवासी तहसील नवलगढ़, जयसिंहपुरा, जिला झुन्झुनू, एलएन चौधरी पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी-सूरजगढ़, कुलोठ कलां जिला झुन्झुनू, सुरेन्द्र बरबर पुत्र श्री संतलाल निवासी-सुजडोला पिलानी, चिडावा, झुन्झुनू, सोमबीर मोटिया निवासी जयपुर, बृजेश कुमार पाण्डे पुत्र मुकेश चन्द पाण्डे निवासी भुसावर, भरतपुर हाल निवासी-श्रीराम नगर, पंचयावला जयपुर, पवन कुमार सेवलिया निवासी 3185, हाउसिंग बोर्ड झुन्झुनू, संदीप जैन पुत्र आसकरण जैन निवासी वार्ड 35, श्रीमालो का मोहल्ला, झुन्झुनू, रणजीत बिजारनिया निवासी सिटी फेमिली हॉस्पिटल लेब, नवीन यादव, निवासी- जयपुर, शाहरूख अब्बासी पिता हामिद अब्बासी, निवासी रोड़ नं. 3, झुन्झूनू, अंकित अग्रवाल पिता राजेश कुमार, निवासी 37 नन्दपुरी, मालवीय नगर, जयपुर, हर्ष सैनी, तरूण मिश्रा, मुकेश कुमार भूरीया निवासी प्लॉट नं. 7. टीचर्स कॉलोनी, बाबा मार्केट, डीसीएम अजमेर रोड़, जयपुर, मंगलेश शर्मा निवासी झोटवाड़ा, जयपुर, मजहर खान निवासी जयपुर, अनिल खण्डेलवाल, बृजेश कुमार पाण्डे पिता अशोक कुमार निवासी भुसावर, भरतपुर, सुनील अग्रवाल निवासी जयपुर, जितेन्द्र जांगिड़ निवासी जोधपुर मोबाईल नं. 8949805166, पुजा भाटी (गहलोत) निवासी जोधपुर, मोबाईल नं. 9636690999 व अन्य ने मुझेxpo.ruनामक वेबसाईट के बारे में बताया जिसका ऑफिस फ्लैट नम्बर 401, वैशाली टॉवर द्वितीय, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में था। नितेश कच्छावा, नागोरी गेट, कच्छावा स्वीट्स, जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8387878000 जो किxpo.ruप्लेटफॉर्म पर होने वाले बिजनेस को लेकर दूरभाष के जरिये मुझसे व मेरे पति जय सिंह को बताया, तथा व्यक्तिगत मुलाकात, मीटींग, सोशल मिडिया प्रचार के माध्यम से बताया किxpo.ruरूस की वेबसाईट / प्लेटफॉर्म है जो फोरेक्स, सी. एफ.डी., क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करती है जो साप्ताहिक 4 से 5 प्रतिशत तथा मासिक 10 से 15 प्रतिशत का लाभ देने का प्रलोभन देकर निवेश हेतु उत्प्रेरित किया गया। वहां इन्होंने मुझेxpo.ruनामक वेबसाईट / प्लेफॉर्म पर निवेश का प्लान बताया और इसमें निवेश करने को बोला। अभियुक्तगण ने मेरा विश्वास जीतने के लिये अपनेxpo.ruअकाउन्ट के कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किये और अपने कुछ स्टेटमेन्ट दिखाये कि इसमें उच्च रिटर्न प्राप्त होता है। मुख्य आरोपी रजत शर्मा ने बताया कि यह एक इन्टरनेशनल ट्रेडिंग मंच है जो रूस में वर्ष 2016 से स्थापित है जो निवेश पर 10 से 15 प्रतिशत मासिक तक प्रोफिट देगा। अभियुक्तगण ने स्वयं कोxpo.ruब्रोकिंग कम्पनी का प्रतिनिधि बताकर अत्यधिक लाभ (प्रतिमाह बोनस / रेफरल कमीशन) का आश्वासन दिया। अभियुक्तगण ने

सेमीनार में मीटिंगों में अपने आप कोxpo.ruब्रोकिंग कम्पनी का प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का सर्टिफिकेट तथ इस वेबसाईट का भारत में सक्षम प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत होने का कूटरचित तरीके से सर्टिफिकेट दिखाकर मुझ प्रार्थिया को विश्वास में लिया। अभियुक्तगण ने सेमीनार, मीटिंग में चिल्ला-चिल्ला कर बोला कि आपका पैसा सुरक्षित निवेश है जो एक लॉक इन पीरियड के बाद वापस आ जायेगा उसकी हमारी गारंटी है। इसके पश्चात् अभियुक्तगण द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से वेबसाईट पर सभी निवेशकों के खाते खुलवाये गये तथा के.वाई.सी. के नाम पर मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ई-मेल आईडी व मोबाईल नम्बर प्राप्त किये। अभियुक्तगण के बार-बार कहने पर मैंने कुल 10,00,000/- अक्षरे रूपये दस लाख निवेश किये तथा जब मैं इनकी मीटिंग में गयी तो अभियुक्तगण ने बोला कि आप भी टीम बनाईये इससे आपको रेफरल इन्कम भी होगी। अभियुक्तगण ने हमें बताया कि आपको हमxpo.ruनामक वेबसाईट का एलाईट मेम्बर बनायेंगे जिसमें आपको अपने नीचे लोग जोड़ने होंगे जिससे आपको अतिरिक्त आय होगी। एलाईट मेम्बर के नाम पर जो इन्कम आती थी उसको ये वापस लेकर निवेश के नाम पर स्कीम निकाल कर विदेशी ट्यूर करवाते थे और कहा कि निश्चिन्त होकर बड़ी रकम लगाओ जिससे मोटी इन्कम कमा सको। उस विश्वास के आधार पर मैंने व मेरे पति राज राठी व मेरी टीम ने काम किया। मैनें व मेरी टीम ने इस वेबसाईट के जरिये काफी निवेश कर दिया। मेरी टीम में भगवती राठी रू. 1,00,000/-, सजय राठी रु. 50,000/-, पूजा राठि रू. 50,000/-, मंजू राठी रु. 50,000/-, दीपक डागा रू. 50,000/-, विक्रम जैन रू. 50,000/- का निवेश है। मूझे व मेरी टीम को नवम्बर 2025 से ना तो कोई लाभ मिला है और ना ही हमारा मूलधन वापस किया गया है। अभियुक्तगण ने षडयंत्रपूर्वक एकराय होकर धोखाधड़ी की नियत से मुझ प्रार्थीया कोxpo.ruका प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का कूटरचित सर्टिफिकेट तथा इस वेबसाईट का भारत में सक्षम प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत होने का कूटरचित सर्टिफिकेट दिखाकर मुझसे व मेरी टीम से एक बड़ी राशि लगभग 13,50,000/- रूपये निवेश करवाकर हड़प कर धोखाधड़ी की है। अब मुझे जानकारी में आया है कि एल.एन. चौधरी, हरी पुरूषोतम, संदीप सिगर, रजत शर्मा, विजय मोर्य, ईश्वर वर्मा, जितेन्द्र जांगिड़, पूजा भाटी, नितेश कच्छावा नेxpo.ruनामक वेबसाईट को वैध अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी होने का झूठा दावा किया तथा स्वयं को कम्पनी का ब्रोकर व प्रमोटर बताकर विश्वास में लेकर हमसे निवेश करवाया जबकि वास्तविकता में अभियुक्तगण ही उक्त वेबसाईट के निर्माता व नियन्त्रणकर्ता हैं तथा ये अभियुक्तगण रैकेट चलाकर भारत में अलग-अलग जगह पर पहुँच कर धोखाधड़ी कारित कर रहे हैं। अभियुक्तगण ने मेरे व अन्य निवेशकों से प्राप्त राशि को usdt में परिवर्तित कर भारत से भारी मात्रा में धन एकत्रित कर विदेश में भेजा है जो आर्थिक अपराध, अनाधिकृत स्कीम का संचालन कर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता व विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन एवं राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध किये कृत्य गम्भीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। साथ ही उक्त जितेन्द्र जांगिड़ व पूजा भाटी जोधपुर जिले में जुड़े सदस्यों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का कर मुकदमा दर्ज करवाने हेतु उत्प्रेरित कर रहा है, तथा इन लोगों का आशय प्रारम्भ से ही मेरे व मेरी टीम के साथ धोखा करने का रहा है।

2. अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर में भी 3,500/- करोड़ रूपये की ठगी की एक एफ. आई.आर. दर्ज है जिसका नम्बर 703/2025 है इसके अतिरिक्त एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भरतपुर बयाना 45 लाख रूपये बाबत् 138/25 पुलिस थाना बयाना भरतपुर में दर्ज है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि अभियुक्तगण द्वारा किये गये उक्त आपराधिक कृत्य के लिये मेरी रिपोर्ट दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें तथा अभियुक्तगण के द्वारा मुझसे व मेरी टीम से धोखाधड़ीपूर्वक निवेश करवायी गयी राशि बरामद करवाकर दिलवाने की कृपा करें।एसडी सीमा राठी मोबाईल नं. 9950507718

PS महामंदिर जोधपुर पूर्व दिनांक 01/06/2026 वक्त 23.04 RRN-46

प्रमाणित किया जाता है कि इस समय उपरोक्त टाईपसुदा रिपोर्ट प्रार्थीयागण श्रीमती सीमा राठी व श्रीमती सीमा गहलोत ने उप. थाना होकर पेश की रिपोर्टस का अवलोकन किया गया तो दोनो रिपोर्ट एक मामले xpo. ru प्लेटफार्म से संबंधित है रिपोर्टस अवलोकन से मामला जूर्म धारा 318(4), 61/(2)क बीएनएस का घरित होना पाया जाने पर प्रकरण जुर्म उपरोक्त तारिख इमरोजा में दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान श्री किशोरसिंह

ASI. के जिम्में किया गया। प्रकरण में नियमानुसार FIR प्रतियां जारी कर एक प्रति प्रार्थीया को निशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है। FIR क्रमांक CCTNS से जारी, होने पर पृथक से नीचे इन्द्राज हो।सही प्रार्थिया सीमा राठी व सीमा गहलोत
सीसीटीएनएस एफआईआर क्रमांक- 220/2026
एसडी (देवेन्द्रसिंह निपु)
थानाधिकारी
पीएस महामन्दिर
जोधपुर पूर्व

13 Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Kishor Singh Rank (पद): सहायकउप - निरीक्षक
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम):Devendra Singh
Rank (पद): I (Inspector)
No(सं.):